

1147/2022



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK67930278141926U
Certificate Issued Date	: 31-Jan-2022 04:27 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1204004/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK120400440315603674363U
Purchased by	: NA
Description of Document	: Article 33 Gift
Property Description	: VILLAGE KAMALPUR SAINIBANS ROORKEE HARIDWAR
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: RAVI KUMAR
Second Party	: RENU SINGH
Stamp Duty Paid By	: RAVI KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 23,500 (Twenty Three Thousand Five Hundred only)



1147/2022
रदाम्प विवेका संकेत 152112
तहसील हरिद्वार

.....Please write or type below this line.....

Ravi Kumar

Sum

0003378842

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.stampsamity.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The issue of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

उपहार पत्र (Gift Deed)

UID No- 754804295736

रवि कुमार
(उपहार दाता)

Ravikumar

UID No-747850486660

श्रीमती रेणू सिंह
(उपहार ग्रहीता)

Renu

NAYNEET JAISWAL AD.
Reg. No. UP-6476/95
UA-2835/04
Tehsil Haridwar

उपहार पत्र -

सरकारी मालियत 23,50,000/- रुपये

स्टाम्प शुल्क 23,500/- रुपये

भूमि क्षेत्रफल 322.5 वर्गमीटर

भूमिदर 3300/- रुपये प्रति वर्गमीटर से भूमि की मालियत 10,64,250/-रु०

कवर्ड एरिया 81.5 वर्गमीटर

निर्माण दर (प्रथम श्रेणी) 12000/- प्रति वर्गमीटर से मालियत 9,78,000/-रुपये

कुल मालियत 20,43,000/-रुपये में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके मालियत 23,50,000/-रुपये

सर्किल दर पृष्ठ 10 क्रमांक 11 ट- 61 पर अंकित है।

वर्णित सम्पत्ति प्रमुख मार्ग (रुड़की गंगनहर के बराबर से धनौरी बहादुराबाद मार्ग) पर कमालपुर

सैनीबांस से बिचपड़ी तक से 35 मीटर की दूरी पर स्थित है।

सम्पत्ति मय ऊपर की छत के उपहार दी है।

उपहार दाता व उपहार ग्रहीता एक ही जाति के सदस्य हैं।

उपहार दाता एवं उपहार ग्रहीता विदेशी नागरिक/भारतीय मूल का विदेशी नागरिक नहीं है तथा पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल, भूटान का नागरिक भी नहीं है।

सम्पत्ति, शत्रु सम्पत्ति, मन्दिर, ट्रस्ट, चर्च, कब्रिस्तान, धार्मिक संस्था की नहीं है।

इस उपहार पत्र के रजिस्ट्रेशन का समस्त खर्चा उपहार दाता (प्रथम पक्ष) ने वहन किया है।

प्रथम पक्ष (उपहार दाता) ने अपनी सगी बहन श्रीमती रेणू सिंह द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) को उक्त सम्पत्ति उपहार दी है।

स्थित- श्री हरिदर्शन सिटी, ग्राम कमालपुर सैनीबांस, परगना रुड़की, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, बाहर सीमा नगर निगम क्षेत्र रुड़की है।

Ravikumar

Renu

हम कि, रवि कुमार पुत्र स्व० श्री महेन्द्रपाल सिंह निवासी— म.न. 783, दयानन्द नगरी, ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार — प्रथम पक्ष (उपहार दाता)

एवं

श्रीमती रेणू सिंह पत्नी श्री सचिन सिंह पुत्री स्व० श्री महेन्द्रपाल सिंह निवासी— म.न. 783, दयानन्द नगरी, ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार — द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) के हैं।

विदित हो कि निम्नलिखित सम्पत्ति जिसका विवरण उपहार-पत्र के अन्त में दिया गया है जो कि आज तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन के भार से शुद्ध एवं मुक्त है कही पर आड रहन या बन्धक नहीं है और न ही उक्त सम्पत्ति को बन्धक करके कोई ऋण आदि किसी बैंक महकमे कम्पनी सोसाईटी आदि से लिया हुआ है जिसका प्रथम पक्ष (उपहार दाता) स्वामी व अधिकारी है प्रथम पक्ष (उपहार दाता) उक्त सम्पत्ति को उपहार देने में पूर्ण सक्षम है अब प्रथम पक्ष (उपहार दाता) ने अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से उक्त सम्पत्ति द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) को उपहार दे दी है और द्वितीय पक्ष ने सहर्ष उपहार में लेनी स्वीकार की है। कब्जा मौके पर उक्त सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) का करा दिया है वह उसमें अपने लाभ के लिये कोई भी कार्य करे, निर्माण कार्य करे, नक्शा आदि पास कराये, विक्रय आदि करे और लाभ उठाये, उपहार दाता को कोई आपत्ति नहीं है, आज दिनांक के बाद द्वितीय पक्ष (उपहार ग्रहीता) को अधिकार होगा कि निम्न सम्पत्ति को विक्रय करें, या अपने प्रयोग में लावे, व विक्रय पत्र, इकरारनामा, मुख्तारनामा आदि दस्तावेज लिखे, प्रथम पक्ष (उपहार दाता) को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपहार ग्रहीता निम्नलिखित सम्पत्ति का दाखिल खारिज अपने नाम पर करावें और किसी भी कार्यालय/न्यायालय में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें, प्रथम पक्ष (उपहार दाता) को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब प्रतिज्ञा करते हैं और लिखे देते हैं कि आज से प्रथम पक्ष (उपहार दाता) का निम्नलिखित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं रहा और न ही भविष्य में होगा। प्रथम पक्ष (उपहार दाता) प्रत्येक कानूनी जिम्मेदारियों का जिम्मेदार है जो कानूनन एक उपहार दाता पर आयद होती हैं उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। द्वितीय पक्ष श्रीमती रेणू सिंह की माता श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व० श्री महेन्द्रपाल सिंह के नाम उत्तराखण्ड राज्य में 12.09.2003 से पूर्व की अपनी अचल सम्पत्ति है उत्तरांचल भू-अधिनियम संख्या 29/03 की किसी धारा का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वर्णित सम्पत्ति उपहारदाता की निजी सम्पत्ति है, जिसके उपहार दिये जाने में RERA अधिनियम 2016 का कोई उल्लंघन नहीं होता है। वर्णित सम्पत्ति अक्षांश 29.9309100 व देशांतर 77.9984740 पर स्थित है।

Ravi Kumar

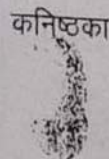
Sen

विवरण सम्पत्ति :- आवासीय मकान, मय ऊपर की छत के, खसरा नं० 113, जिसकी नीचे की भूमि की पैमाईश पूरब 21.7 मीटर, पश्चिम 21.3 मीटर, उत्तर 15 मीटर, दक्षिण 15 मीटर, क्षेत्रफल 322.5 वर्गमीटर है, जिसमें भूतल पर तीन कमरे, लॉबी, कीचन, टॉयलेट, जीना, बने हैं, जिनका कुल कवर्ड एरिया 81.5 वर्गमीटर है, शेष खाली भूमि है, जो स्थित- श्री हरिदर्शन सिटी, ग्राम कमालपुर सैनीबांस, परगना रुड़की, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, बाहर सीमा नगर निगम क्षेत्र रुड़की है। जिसके पूरब रास्ता 12 मीटर चौड़ा, पश्चिम प्लाट अन्य व्यक्ति, उत्तर भूमि सिंचाई विभाग, दक्षिण सम्पत्ति प्रथम पक्ष है। उक्त मकान के नीचे की भूमि प्रथम पक्ष ने द्वारा विक्रय पत्र तारीख व प्रमाणित 13.08.2020 जिसकी रजि० सब रजिस्ट्रार कार्यालय रुड़की, द्वितीय में जिल्द 5336 पृष्ठ 77-94 द०न० 5591 पर दर्ज है, खरीद की थी। राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंट्स
दायाँ हाथ उपहार दाता (रवि कुमार)



दायाँ हाथ उपहार दाता (रवि कुमार)



Ravikumar

Senu

बायाँ हाथ उपहार ग्रहीता (श्रीमती रेणू सिंह)

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



दायाँ हाथ उपहार ग्रहीता (श्रीमती रेणू सिंह)

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

कनिष्ठका



अतः यह उपहार पत्र (Gift Deed) लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

तहसीर तारीख— 31.01.2022

Ranjit Kumar

Soni

Monu Kumar

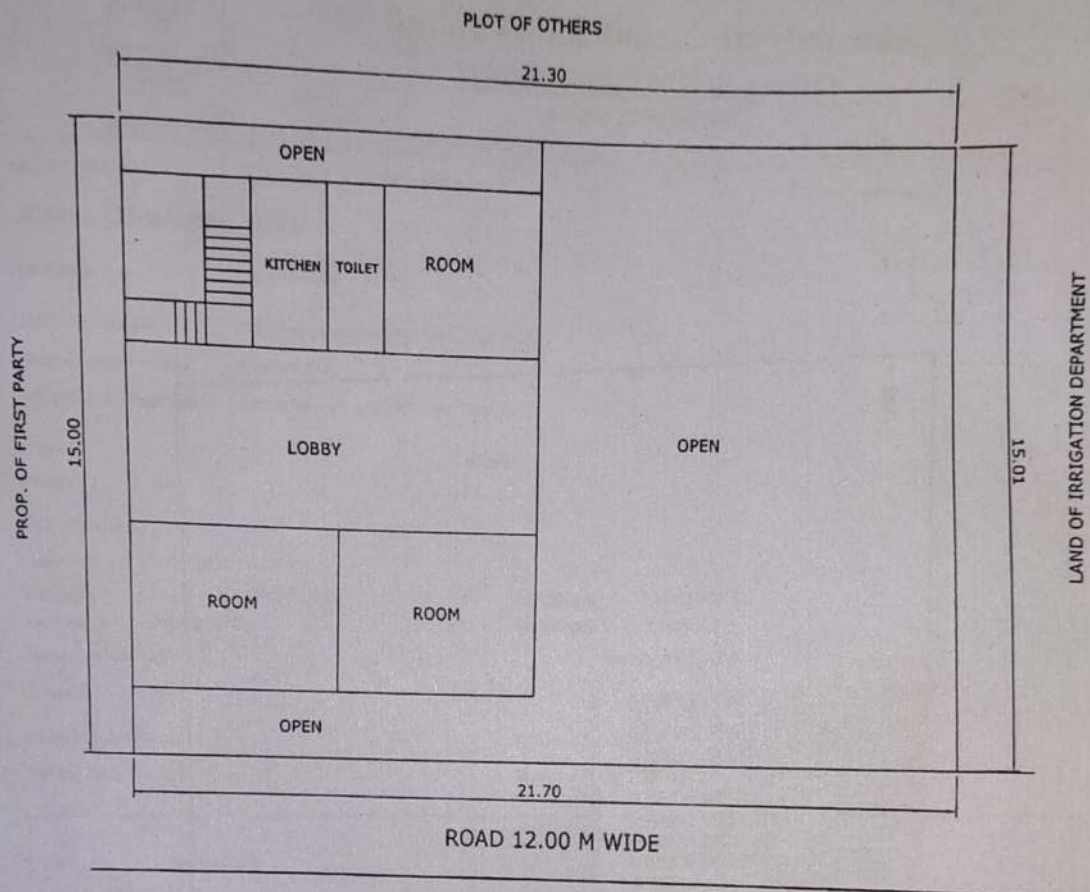
[Signature]

गवाह— मोनू कुमार
पुत्र श्री सतीश कुमार
निवासी— म.न. 347, हीरापारी
पट्टी, बरला, मुजफ्फरनगर,
उ०प्र०।
UID No- 786827138067

गवाह— राजीव कुमार
पुत्र श्री प्रेम कुमार
निवासी —म.न. 126, आदर्श नगर
ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।
UID No- 349594635920

[Signature]
टाईपिस्ट
रविन्द्र सिंह

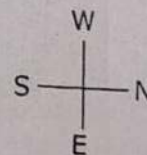
[Signature]
रक्षिता
नवनीत जायसवाल एडवोकेट
हरिद्वार
Reg.No.-UP-6476/95
UA-2835/04



TOTAL LAND AREA= 322.50 SQ M.

TOTAL COVERED AREA= 81.50 SQ M.

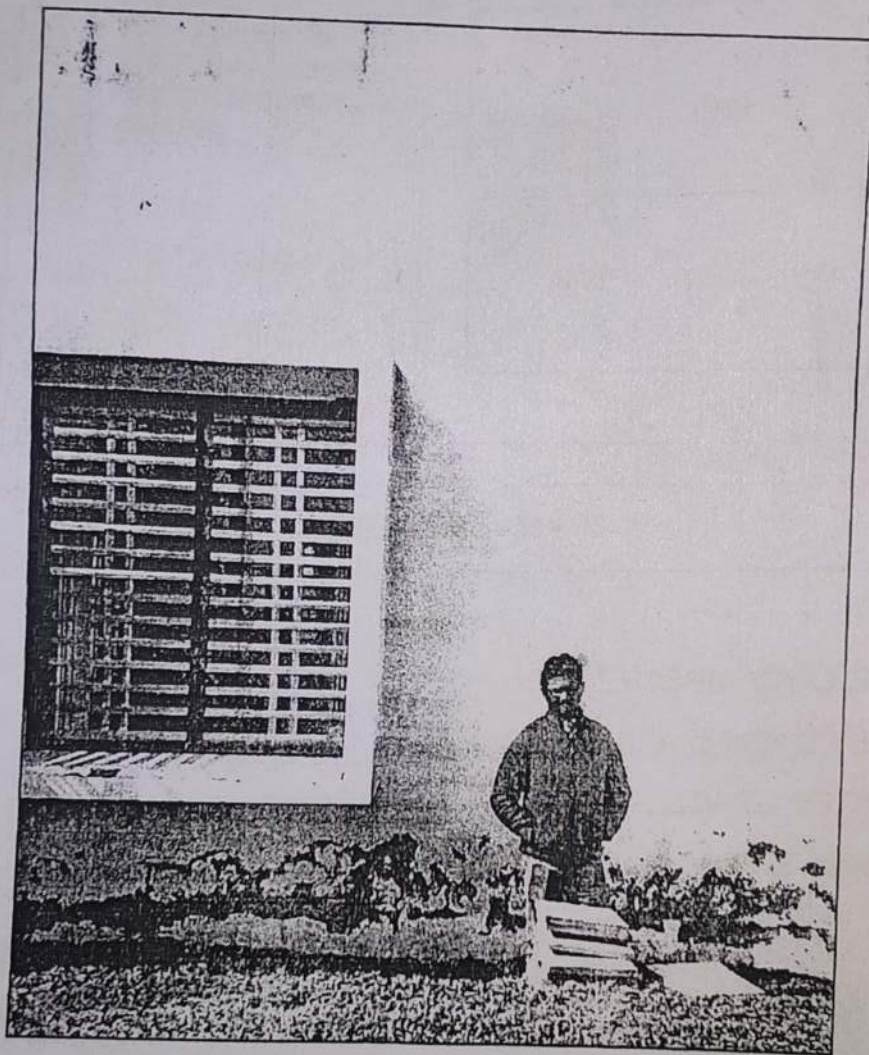
SITUATED AT-VILL.-KAMALPUR SAINI BANS
PARGANA & TEHSIL -ROORKEE DISTT.-HARIDWAR



Ravi Kumar

Seni



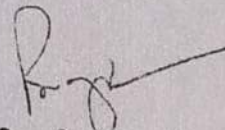


Rai Kurar

Seni

बही संख्या 1 जिल्द 6,326 के पृष्ठ 163 से 182 पर क्रमांक 1148

पर आज दिनांक 31 Jan 2022 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।



रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, रुड़की, द्वितीय
31 Jan 2022

